Hindi / हिन्दी

NSW Police Force

पुलिस द्वारा दिए गए ADVOs

में बदलाव का सारांश

Crimes (Domestic & Personal Violence) Act

न्यू साऊथ वेल्ज़ में घरेलू व पारिवारिक हिंसा लगातार चिंता का मुख्य विषय बना हुआ है। दुःख की बात है कि हर साल चार में से तीन हत्याएँ घर पर होती हैं और लोग उनके किसी निकट संबंधी द्वारा मारे जाते हैं। घरेलू व पारिवारिक हिंसा उन बच्चों को भी हानि पहुँचाती है जो घर पर हिंसा देखते हैं या जिनके ख़िलाफ़ हिंसा की जाती है या जिसे वे प्यार करते हैं उसे चोट लगने से बचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें चोट पहुँचती है।

घरेलू व पारिवारिक हिंसा के शिकार लोगों को तुरंत सुरक्षा देने के लिए, न्यू साऊथ वेल्ज़ सरकार ने जुर्म *Crimes (Domestic & Personal Violence) Act 2007 [जुर्म (घरेलू व व्यक्तिगत हिंसा) अधिनियमम 2007]* में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव **20 मई 2014 से लागू होंगे।**

यह जानकारी इस बारे में है कि ये बदलाव **घरेलू व पारिवारिक हिंसा से संबंधित** पुलिस अधिकारों पर किस प्रकार का असर डालेंगे।

20 मई 2014 से न्यू साऊथ वेल्ज़ पुलिस के अधिकार दो मुख्य क्षेत्रों में क़ानून के तहत पहले से अधिक होंगे:

1. पुलिस निदेशन व नज़रबंदी के अधिकार

पुलिस उन अपराधियों को निदेश दे पाएगी व उन्हें नज़रबंद कर सकेगी जिससे वह *अस्थाई आशंकित घरेलू हिंसा आदेश* (ADVOs) *[apprehended domestic violence orders* (ADVOs)*]* के लिए आवेदन-पत्र दर्ज़ कर सकें व अपराधियों को यह आदेश दे सकें। इसका अर्थ है कि यदि पुलिस को शक होता है या उनका मानना है कि घरेलू हिंसा हुई है या हो सकती है तो पुलिस अस्थाई ADVO *[Provisional ADVO]* के लिए आवेदन करेगी। पुलिस यह कार्यवाही तब भी कर सकती है यदि घरेलू हिंसा का शिकार शिकायत करने के लिए तैयार न भी हो। यह उस दौरान अपराधी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए है जब ADVO के लिए आवेदन दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित व्यक्ति व अन्य लोग, जिन्हें पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है वे सुरक्षित हैं और वे सुरक्षित रूप से रह सकें।

पुलिस, निदेश के कौन से विकल्पों का उपयोग कर सकती है?

पुलिस के पास कई विकल्प होंगे जिसमें से वह अपराधी को देने के लिए निदेश चुन सके, जिसमें उसी जगह रुकने का जहाँ अपराधी को पाया गया है या उसे **अपने साथ पुलिस थाने ले जाना और वहीं रुकना शामिल है।**

निदेश देने के इन अधिकारों का उपयोग करने का उद्देश्य होता है अस्थाई ADVO के लिए आवेदन करना। जिस निदेश को पुलिस सोचती है कि जिस स्थिति में वे हैं उसमें सबसे उचित है, वह उसे चुन सकती है।

पुलिस के साथ चलने का निदेश: इसकी संभावना अधिक है कि पुलिस इस विकल्प का उपयोग करे, क्योंकि इससे अस्थाई ADVO मिलने तक अपराधी को हटाने और पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा बेहतर रूप से करने का मौका मिलता है। पुलिस वाहन में सुरक्षापूर्वक थाना ले जाने के लिए हो सकता है पुलिस प्रतिवादी को **अस्थाई रूप से** रोक ले व उनकी तलाशी ले। एक बार थाना पहुँच जाने के बाद प्रतिवादी नज़रबंदी में नहीं होगा पर उसको निदेश दिया जाएगा कि वह थाने में रुके।

पुलिस निदेश कितने समय के लिए लागू होगा?

पुलिस निदेश उतने समय के लिए लागू रहेगा, जितना समय उचित रूप से पुलिस को अस्थाई ADVO के लिए आवेदन करने व उसे प्रतिवादी को देने में लगेगा।

क्या प्रतिवादी पुलिस निदेश को मानने से इन्कार कर सकता है या पुलिस के निदेश का पालन न करके, रुकने से मना कर सकता है?

पुलिस निदेश को मानने से इन्कार करना या न मानना जुर्म नहीं है पर यदि ऐसा होता है तो पुलिस प्रतिवादी को अस्थाई ADVO देने के लिए हवालात में बंद कर सकती है। किसी व्यक्ति को हवालात में बंद करने के लिए पुलिस उचित बल का प्रयोग कर सकती है। हवालात में बंद करने की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति विरोध करता है और/या पुलिस पर हमला करता है तो उन पर इन अपराधों के आरोप लगाए जा सकते हैं।

प्रतिवादी को कितने समय के लिए हवालात में बंद किया जा सकता है?

प्रतिवादी को अधिक से अधिक दो घंटे के लिए हवालात में बंद किया जा सकता है। इसमें थाने या किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए समुचित समय शामिल नहीं है।

2. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास अस्थाई ADVOs के लिए आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

इसका अर्थ है कि घरेलू व पारिवारिक हिंसा के लिए अस्थाई ADVO के लिए अधिकाँश आवेदन-पत्र न्यायालयों के अधिकृत न्यायकर्ताओं की बजाय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए जाएँगे।

इस नई कार्यविधि द्वारा उन हिंसा के शिकार लोगों को जिन्हें हिंसा का ख़तरा है शीघ्रता से व तत्काल अस्थाई ADVO मिलेगा। इससे पुलिस व न्यायालय के समय व साधनों में भी बचत होगी और हिंसा के शिकार लोगों को तुरंत सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित हो सकेगा और घरेलू हिंसा के अपराधियों के निवारण में बढ़ोत्तरी होगी।

आवेदन-पत्रों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्णय

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऐसा अधिकारी होता है जो सार्जेंट के पद पर या उससे ऊपर होता है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि वह यह निर्णय ले कि अस्थाई ADVO देने के लिए उचित कारण हैं या नहीं। यह निर्णय पुलिस के आवेदन-पत्र व उस जानकारी पर आधारित होगा जो आवेदन-पत्र देने के समय उपलब्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जाँच-पड़ताल करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर सोच-विचार करेगा और निर्णय लेगा कि लोग/गों व संपत्ति की सुरक्षा को बचाने के लिए तत्कालिक आदेश की आवश्यकता है या नहीं। इस प्रक्रिया को 'Legal Test'*('क़ानून टेस्ट')*। यह वही टेस्ट है जो अधिकृत न्यायकर्ता अस्थाई आशंकित हिंसा आदेश देने के समय उपयोग करते हैं।

अस्थाई ADVO की शर्तें

आवेदन कर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा अस्थाई ADVO की जो शर्तें माँगी गई हैं, उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनुमोदित, अस्वीकार या परिवर्तित कर सकता है।

यह आवश्यक है कि उचित न्यायालय में घरेलू हिंसा की अगली सूची वाले दिन की सूची में अस्थाई ADVO शामिल हो पर यह आदेश दिए जाने के समय से 28 दिन के बाद नहीं हो सकता।

अधिक जानकारी के लिए कृपया LawAccess से 1300 888 529 पर संपर्क करें।